न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
दावा बाबत आर०टी०ए० 88
प्रकरण संख्या–201/2019

1. आशीष पुत्र संजय कुमार जाति बिश्नोई निवासी 6 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

उपस्थिति–श्री सुभाष चन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 3-9-19

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह दावा बाबत् घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के नाम से चकनं0 6 केएसपी के खाता सं0 47 में वादी का नाम विश्वजीत उर्फ आशीष का कुल .253 है0 में से 1/48 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 59 में 6.325 है0 मे से विश्वजीत उर्फ आशीष का 1/8 हिस्सा तथा इसी चक के खाता सं0 62 में 1.265 है0 में से 158 हिस्सा तथा चकनं0 7 केएसपी के खाता सं0 11 में कुल 3.036 है0 में से 95/2277 हिस्सा व चकनं0 1 एचएम.एच के खाता सं0 59 में कुल 3.542 है0 में विश्वजीत का 1/24 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में विश्वजीत उर्फ आशीष दर्ज है जबकि वादी के पहचान–पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, अंकतालिका, राशनकार्ड में आशीष दर्ज है। वादी को बैंक से ऋण लने व पानी की पर्ची बनाने में परेशानी रहती है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में आधार कार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजो के आधार पर चकनं0 6 केएसपी के खाता सं0 47,59 व खाता सं0 62 तथा चकनं0 7 केएसपी के खाता 11 में विश्वजीत उर्फ आशीष के स्थान पर पर आशीष तथा चकनं0 1 एच.एम.एच के खाता सं0 59 में विश्वजीत के स्थान पर आशीष नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है। नाम सही होने से स्टेट में कोई हित प्रभावित नही होते। नाम दुरूस्त करवाने से खातेदारी हक हकूक पर व राज्य हित पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज में वादी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपति नही की गई, स्टेट द्वारा अंकित किया गया है कि वादी का नाम विश्वजीत उर्फ आशीष के स्थान आशीष नाम अंकित किया जाता है तो राज्यहित प्रभावित नही होते। प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी की भूमि में वादी का नाम विश्वजीत उर्फ आशीष दर्ज है जबकि वादी का सही नाम विश्वजीत उर्फ आशीष है जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक भी जारी की हुई है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपना नाम विश्वजीत उर्फ आशीष के स्थान पर आशीष दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड से विश्वजीत नाम हटवाना चाहता है जिसका स्टेट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। वादी के नाम की दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते है। वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

बहस सुनी गई।दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज है, जिसमें वादी का नाम विश्वजीत उर्फ आशीष नाम दर्ज है, वादी अपना सही नाम आशीष दर्ज करवान चाहता है। वादी का वाद मात्र दुरूस्ती का है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायन किये जाने की आवश्यकता नही है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 6 केएसपी के खाता सं0 47,59 व खाता सं0 62 तथा चकनं0 7 केएसपी के खाता 11 में विश्वजीत उर्फ आशीष के स्थान पर पर वादी का नाम आशीष तथा चकनं0 1 एच. एम.एच के खाता सं0 59 में विश्वजीत के स्थान पर सही नाम आशीष अंकन करने तथा राजस्व रिकार्ड से विश्वजीत का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 3-9-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी।

Scanned by CamScanner